न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 1016/2016

चन्दा पुत्र स्व. श्री भैंरू रैगर, जाति रैगर, निवासी बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।

———अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती सूज्या पुत्री स्व. श्री भैरू रैगर पत्नी श्री हरिनारायण, जाति रैगर, निवासी रैगर बस्ती, हरि मार्ग, जेडीए ब्लॉक– ए, मालवीय नगर, जयपुर।
2. हरिनारायण पुत्र स्व. श्री भैंरू रैगर, जाति रैगर, निवासी बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक जयपुर तृतीय तहसील व जिला जयपुर।

———रेस्पोडेंट

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री गौरीशंकर शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

2– रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित

:– निर्णय :–

दिनांक :– 18–10–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03/02/2015 बअदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा वाद संख्या 12ए/2012 बउनवानी श्रीमती सूज्या बनाम हरिनारायण व अन्य में प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से एक वाद बाबत् घोषणा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया कि वादीनी के दादा स्व. श्री गणेश रैगर की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बिन्दायका भू.अ. क्षेत्र मुण्डियारामसर तहसील व जिला जयपुर में थी उनकी मुत्यृ के बाद उक्त भूमि की वंशानुगत खातेदारी उनके तीनों पुत्रों स्व. महादेवा, स्व. भैंरू एवं स्व. मुन्नालाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण होकर पैतृक कृषि भूमि की खातेदारी प्राप्त हुई थी, तीनों पुत्रान के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि की खातेदारी का नामान्तकरण गलत दर्ज हो गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

है। वादिनी स्व. भैरू की पुत्री होने कारण स्व. भैरू की खातेदारी में 1/3 वां हिस्सा उत्तराधिकार में कानूनी रूप से है। वादिनी के पिताजी का स्वर्गवास उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होने के बाद हुआ है। वादीनी के स्व. पिता श्री भैरू रैगर के नाम जो पैतृक कृषि भूमि वादीनी के दादा से आयी है वो इस प्रकार से है:— गाँव बिन्दायका भू. अ. क्षेत्र मुण्डियारामसर तहसील व जिला जयपुर में स्थित कृषि खेवट खाता पुराना 339 व नया 331 खसरा नंबंर 411 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, 2 खसरा नम्बर 428/760 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 451/775 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, पक्की कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 4 में वादीनी के पिता स्व. भैरू का 1/3 हिस्सा है उसमें से वादीनी का उत्तराधिकारी में 1/3 वां हिस्सा यानी कुल रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा में से 1/9 वां हिस्सा है एवं खेवट पुराना 342 व नया 333 में खसरा नम्बर 393/816 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा बारानी —3 में वादीनी के पिता का 1/2 वां हिस्सा है, यानी वादीनी का 1/2 व हिस्से में से 1/6 वां हिस्सा उत्तराधिकारी में है तथा खेवट पुराना 132 नया 128 खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 42 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 73 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नंबर 73/628 रकबा 12 बिस्वा कुला किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा है जिसमें वादीनी के पिता स्व. भैरू का 1/3 वां हिस्सा है और वादीनी का अपने पिता स्व. भैरू की 1/3 वे ं हिस्से में से 1/9 वां हिस्सा उत्तराधिकारी में आता है। वादीनी के पिता की कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या एक व दो ने प्रतिवादी संख्या तीन से सांठ—गांठ कर गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि करवा ली है, जो कि अवैध शुन्य व कानून के विरूद्ध है। वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने दिया है जो कि अवैध अवैध गलत इन्द्राज है। उक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमि का आज तक वादीनी व अन्य खातेदारों के मध्य कानूनी तौर पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। और उक्त संपूर्ण भूमि अविभाजित भूमि है। इसलिए वादीनी को विधि में यह अधिकार प्राप्त है कि घोषणा का दावा कर राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता की पैतृक कृषि भूमि अपना 1/3 वां हिस्से की घोषणा करवायें और वादीनी को अपने हिस्से का बंटवारा कराने की भी अधिकर है। वादीनी दिनांक 11.01.2012 को अपने हिस्से की कृषि भूमि को सभांलने गांव बिन्दायका भू.अ. क्षेत्र मूण्डियारामसर तहसील व जिला जयपुर गयी थी तो प्रतिवादी संख्या एक व दो किसी अन्य अनजान व्यक्तियों को कृषि भूमि जो वादपत्र के पैरा नम्बर 4 मे वर्णित है को बेचने की वार्ता कर रहे थे और वादीनी को धमकी दी कि प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि को बेच रहे हैं। इस पर वादीनी ने कहा कि जमीन में मेरा हक व हिस्सा है इसलिए वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को भूमि बेचने से मना किया और उक्त भूमि का बाई मिट्स व बाउण्डस के आधार पर तकासमा करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तकासमा करने से मना कर दिया एवं वादीनी को ऐलानिया धमकी देकर कहा कि हम अपनी मर्जी से संपूर्ण जमीन को बिना बंटवारा हुए ही बेचना कर देंगें और तुम्हें कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हिस्सा नहीं देगें। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को बेचान किये जाने की ऐलानिया धमकी दिये जाने से वादीनी को यह युक्तियुक्त आशंका हो गयी है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 उक्त सम्पूर्ण अविभाजित भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचान कर देगें। अन्त में वादनी ने वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की घोषणा करवाने, भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को चाही गयी स्थाइ निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अनुतोष चाहा।

3— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3—2—2015 द्वारा वादीनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से डिक्री किये जाने को आदेश पारित किये गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4— अपीलांट् द्वारा अपनी अपील में प्रार्थना की गई है कि वाद में प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये परन्तु अपीलांट को नोटिस आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुए। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत का अवसर दिये एवं बिना समुचित तामील कराये आनन फानन में वादीनी का वाद डिक्री कर दिया। अपीलान्ट वाद अधीन भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसको वादीनी ने माननीय पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत करते हुए बिना समुचित प्रक्रिया अपनाये वाद डिक्री करवा लिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 3—02—2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर अपील अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम अग्रलिखित आधारों पर पेश की गई है। अपीलान्ट के नाम जो भूमि का नामान्तकरण दर्ज हुआ है वो किन प्रावधानों के तहत हुआ है इसका निर्णय साक्ष्य, सबूत के आधार पर उभयपक्षों की बहस सुनकर किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है वो विधि विधान के विरूद्ध है। विधि के प्रावधानों के अनुसार विभाजन के वाद में समस्त पक्षकारों की तलबी की जाकर समस्त पक्षकारों सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर तनकीयत बनाई जाकर आदेश पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को ताक में रखकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो विधि विधान के विरूद्ध है, अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी दिनांक 26—11—2016 को वादीनी के धमकी देने पर हुई। जिस पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने पत्रावली तलाश कर जानकारी ली तो मालूम हुआ कि पत्रावली में बिना किसी को सूचना दिये दिनांक 03—02—2015 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दिया है। दिनांक 05—12—2016 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 08—12—2016 को प्राप्त हुई। जिसके पश्चात् रूपये पैसों का इंतजाम कर जानकारी से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी, जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलान्ट की अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–02–2015 को अपास्त किये जानें का आदेश फरमाया जावे।

5– यह कि अपील दर्ज रजिस्टर्ड की गई रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से श्री चन्द्रभान राव द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया परन्तु बरवक्त बहस अनुपस्थित रहें हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस अपीलान्ट सुनी गई।

6– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एकतरफा में तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदार किये बगैर पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिन्द्धातों के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं है तथा वादिनी द्वारा इसे पैतृक साबिस करने के लिए कोई भी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की जांच किये बगैर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जावें। अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त **RRT 2016 (2) 989 DNJ (Revenue) 2015-174** व **RRT 2014 (1) 580** प्रस्तुत किये गयें।

7– अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 के तामील शुदा नोटिस उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को नोटिस दिये बगैर पारित किया गया है, जो अपीलांट के प्राकृतिक अधिकारों के विरूद्ध हैं इसलिए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। वादियां रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वाद घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा हेतु यह कहकर प्रस्तुत किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि उसके दादा स्व. श्री गणेश रैगर की खातेदारी में थी। जो दादा के स्वर्गवास के पश्चात् उनके पिताजी के हिस्से में 1/3 भूमि, जरिये विरासत प्राप्त हो गई तथा तत्पश्चात वादियों को अपने पिता के हिस्से में से 1/3 भाग अर्थात वादग्रस्त भूमि के कुल 1/9 भाग की खातेदारी विरासत से प्राप्त हो गई है। न्याय का यह सुस्थापित सिन्द्धात है कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं जिससे कि विवादग्रस्त भूमि स्व. गणेश की खातेदारी में कभी भी होना स्पष्ट होता हो, वादीनी द्वारा भी जो दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये है। प्रदर्श 1 जमाबन्दी सवंत 2051 से 2054, प्रदर्श 2 जमाबन्दी सवंत 2059 से 2062 एवं प्रदर्श 3 जमाबन्दी सवंत 2059 से 2062, ग्राम बिन्दायका है। उक्त जमाबन्दीयों में विवादग्रस्त भूमि वादियां के पिता व दादा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

का नाम होना स्पष्ट नहीं होता है बल्कि विवादगस्त भूमि वादियां के भाईयों हरिनारायण व चन्दा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौखिक साक्ष्य में भी वादिया द्वारा सिर्फ स्वयं के बयान करवाये गये हैं जिनमें मात्र वाद पत्र को दोहराया गया है। इस प्रकार वादिया द्वारा अपने वाद का मुख्य आधार विवादग्रस्त भूमि का पैतृक होना सिद्ध किये जाने का कतई प्रयास नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सरसरी तौर पर वादिया के वाद पत्र को स्वयं सिद्ध मानते हुए बिना किसी साक्ष्य,सबूतों के आधार पर विवादग्रस्त भूमि को पैतृक मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसमें विधिक विवेचन एवं विवेक का कतई अभाव दृष्टिगोचर होता है। अपीलाधीन निर्णय किसी भी दृष्टि से Speaking Order की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में तथ्यों एवं विधि की सारभूत त्रृटि कारित की गई है तथा उक्त निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर वादिया का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 18–10–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर